

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001



फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 19/05/2017

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-05/ 2014362..... चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों वा. बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा अनुलग्नक-2 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों तथा निर्बंधक सहयोग समितियां, बिहार के पत्रांक-4992 दिनांक 01.11.2013 में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 22.06.2017 (गुरुवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-200 दिनांक 21.03.2017 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ दिनांक 28.02.2017 निर्धारित : की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 27.04.2017 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निर्बंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

- (ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 27.05.2017 (मंगलवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (**0612-2231562, 2215089**) अथवा ई-मेल (**bseapatna@gmail.com**) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल मिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

19/05/2017

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

19/05/2017

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि दिनांक 06.02.2017 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियां के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे।

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

19/05/2017

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

19/05/2017

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 362 पटना/ दिनांक

19/05/2017

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/05/2017
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन देय स्वावलंबी सहकारी समितियों की सूची

अनुलग्नक-1

क्र.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	प्राथमिक सहकारी समितियों का नाम
1	कटिहार	कटिहार	किसान सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, सिरसा
2	कटिहार	प्रभापुर	बस्तौल पंचायत कृषक स्वावलंबी स०स० लि०, बस्तौल
3	कटिहार	वार्डा	प्रगतिशील कृषक स्वावलंबी स० स० लि०
4	कैमूर	वार्डा	बीज निगम श्रमिक स्वावलंबी सहयोग समिति लि० कुदरा
5	कैमूर	आँधोरा	अधौरा प्रखंड केन्द्र पता सर्वागीण विकास सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, ताला अधौरा
6	कैमूर	आँधोरा	अधौरा पखंड उपभोगता भंडार स्वावलंबी स०स० लि०
7	कैमूर	आँध	चांद कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
8	कैमूर	मोहनिया	प्रखंड स्वावलंबी सहकारी उपभोगता भंडार लि० मोहनिया
9	कैमूर	रामगढ़	रामगढ़ उपभोगता भंडारण स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, रामगढ़
10	कैमूर	मुन्हा	घटाँव कृषि विकास सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
11	कैमूर	मोहनियाँ	माँ कामख्या कृषक एवं उर्वरक वितरण स्वावलंबी स०स० लि०
12	कैमूर	दुर्घावती	प्रदीप कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
13	कैमूर	भगवानपुर	गुरुकृपा भभुआ अनुमंडल कृषि एवं विपणन सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
14	कैमूर	वार्ड	माँ लक्ष्मी एवं कृषि एवं उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
15	कैमूर	वार्ड	माँ अन्नपूर्णा कृषि एवं उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
16	कैमूर	भभुआ	भभुआ कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
17	कैमूर	भभुआ	माँ ताराचण्डी कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
18	कैमूर	भभुआ	श्री बालाजी कृषि एवं रसायनिक उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
19	कैमूर	भभुआ	श्री साईनाथ कृषि विकास सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
20	कैमूर	भभुआ	आकाश कृषि एवं उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
21	कैमूर	भभुआ	केशरवानी अनुमंडल भभुआ कृषक सेवा कृषक सेवा एवं विपणन स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
22	कैमूर	भभुआ	सिद्धी विनायक कृषि एवं उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ

निर्वाचन देय स्वावलंबी सहकारी समितियों की सूची

अनुलग्नक-1

क्र.	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्राथमिक सहकारी समितियों का नाम
23	कैमूर	भभुआ	जय शिवशंकर कृषि एवं उर्वरक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
24	कैमूर	भभुआ	ओम कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, भभुआ
25	कैमूर	भभुआ	माँ काली पशुपालन एवं कृषि स्वावलंबी स०स० लि०
26	कैमूर	रामपुर	जलालपुर पंचायत जय गुरुदेव उपभोक्ता कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, बेलौव
27	कैमूर	रामपुर	रामपुर प्रखण्डस्तरीय कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०, बेलौव
28	प० चम्पारण	नीलन	शिवराजपुर कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
29	प० चम्पारण	देहराधा	जनसेवा कृषक सेवा स्वावलंबी स० स० लि०
30	पटना	पटना	नवजीवन बचत एवं साख स्वावलंबी स० स० लि०
31	पटना	दग्धापुर	कृषि विकास सेवा स्वावलंबी स० स० लि०
32	पटना	गोरे	जागृति नारी शक्ति महिला स्वावलंबी स० स० लि०
33	पटना	दिक्षम	जगदम्बा कृषक सेवा स्वावलंबी स० स० लि०, दतियाना
34	पटना	पटना सदर	अभय अमन बचत एवं साख स्वावलंबी स० स० लि०
35	रोहतास	गोडटा	साहपुर कृषक सेवा स्वावलंबी स०स०
36	समस्तीपुर	रामस्तीपुर	पोखरेडा कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
37	समस्तीपुर	रामस्तीपुर	ताल दशराहा कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
38	समस्तीपुर	पुरा	सर्वोदय कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
39	समस्तीपुर	पुरा	वैनी रेपुरा कृषक सेवा स्वावलंबी स०स० लि०
40	दरभंगा	सिहवाड़ा	कृषक एवं छोटे व्यवसायी बचत एवं साख स्वावलंबी स० स० लि०, सिहवाड़ा
41	दरभंगा	सिहवाड़ा	साई स्वावलम्बी बचत एवं साख स० स० लि०, सिहवाड़ा
42	दरभंगा	दहादुरपुर	मिथिलांचल महिला विकास स्वावलंबी स० स० लि०, बहादुरपुर
43	जमुई	फैहट	लेट चन्द्रशेखर सिंह कृषक स्वावलंबी स०स० लि०, मलयपुर
44	अरवल	अरवल	ज्येति स्वयं सिद्धा महिला विकास स्वावलंबी स०स० लि०, अरवल

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित स्वाबलम्बी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	27.05.2017 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	12.06.2017 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	13.06.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	14.06.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	22.06.2017 (गुरुवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	22.06.2017 (गुरुवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)